न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 40/2010

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14(3) सीपीसी

(अन्तर्गत धारा 88,53,188 आरटीए)

--निर्णय-- **दिनांक : 09/03/21**

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी / वादी बलविन्द्र सिंह के द्वारा जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14(3) सीपीसी पेश कर निवेदन किया। कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी विवादित भूमि की इस वर्ष की पानी की पर्ची प्रस्तुत करना चाहता है। व प्रदर्शित करवाना चाहता है। जो वादी का अब मिली है, जो प्रार्थी द्वारा बिना देरी के पेश की जा रही है। उक्त पानी की पर्ची पत्रावली में पेश होने पर न्यायालय को न्याय करने में मदद मिलेगी। अतः वादी को उक्त पानी की पर्चियां पेश करने व प्रदर्शित करवाने की अनुमति प्रदान की जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की नकल प्रतिवादी/अप्रार्थी अधिवक्ता को दिलाई गई। प्रतिवादी/अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर बन्द किया गया।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी (वादी) के द्वारा अपने बहस मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया एवं अप्रार्थी (प्रतिवादी) अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवेदन किया।

हमने आदेश 7 नियम 14 (3) सीपीसी का तथा संगत विधिक प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण के समुचित न्याय निर्णयन के लिए पानी की पर्ची पेश करने की ईश्तदुआ की है। लिहाजा हम प्रार्थी/ वादी को पानी की पर्ची पेश करने की अनुमति दिया जाना उचित/विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

उपर्युक्त विवेचन एंव तथ्यों के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14(3) सीपीसी भलीभांति बखूबी साबित होने एंव सारवान होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/वादी को उक्त पानी की पर्ची पेश करने की अनुमति दी जाती है।

आदेश आज दिनांक 09/03/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)